

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

एफ.सं. 234(581)/स्वा0एवं.प0क0वि0/प्रश्न शाखा /2017/ 229

दिनांक:- 29.08.2017

सेवा में

उप-सचिव, (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

विषय : दिनांक 09.08.2017 को सदन की बैठक के दौरान श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा, माननीय
विधायक द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बंधित अतारांकित प्रश्न संख्या 130 जो कि आबकारी, मनोरंजन एवं
लक्ष्मी कर विभाग के पत्र संख्या प्रश्न/आबकारी/2016-17/2419 दिनांक 08.08.2017 द्वारा प्राप्त
हुआ, इस सम्बंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार उत्तर की 100 प्रतियां उचित
कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न -यथोपरि

आपका,

श्रीकेशव सोहन


(आर. सी. केसरवानी)
संयुक्त सचिव (प्रश्न शाखा)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सचिवालय
9वां तल-ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : 130
दिनांक : 09/08/2017
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या दिल्ली सरकार को ज्ञात है कि राजधानी दिल्ली में जगह-जगह हुक्का बार खुले हुए हैं,	इन हुक्का बारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है ।
ख)	यदि हां, तो यह हुक्का बार दिल्ली सरकार की अनुमति से खुले हुए हैं,	
ग)	क्या यह सत्य नहीं कि दिल्ली के नवयुवकों में इससे नशे की लत बढ़ रही है, और	इस विषय पर इस विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।
घ)	दिल्ली सरकार इन बारों को बंद करने के लिए कोई कानून या अधिनियम लाने की इच्छा रखती है ?	स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई विशेष अधिनियम प्रस्तावित नहीं किया गया है ।



Joint Secretary
Health & Family Welfare Deptt.
909 A, 9th Level, Delhi Sectt.
New Delhi